न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेदसिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 128/2019

1. साहबराम पुत्र स्वर्गीय श्री बद्रीराम कौम जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)
2. विजयसिंह पुत्र श्री बदरीराम } कोम जाट निवासीगण मक्कासर
3. श्रीमती कौशलया देवी पत्नी श्री रणजीतसिंह } तह.व जिला हनुमानगढ़

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. श्रीमती सावित्री पत्नी श्री लाधुराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर
2. श्रीमती शकिला पत्नी स्व. श्री शिव प्रकाश
3. दीपक पुत्र स्व. श्री शिवप्रकाश
4. साहिल पुत्र स्व. श्री शिवप्रकाश
5. प्रियंका पुत्री स्व. श्री शिवप्रकाश

} जाति जाट निवासी चक 3 क्यू, दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

6. आत्माराम पुत्र बदरीराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
7. विनोद कुमार पुत्र श्री दौलतराम जाति जाट निवासी गांव दौलतपुरा तह. व जिला श्रीगंगानगर
8. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री जीतपाल सैनी अधिवक्ता	प्रार्थीगण
2. श्री विनोद भाटी अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 3
3. श्री गुलशन कामरा अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5
4. श्री विजय कुमार भाटी अधिवक्ता	अप्रार्थी संख्या 1

अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध दिनांक 14.02.2020 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 16.03.2021

प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण तथा प्रार्थीगण के परिवार का जीवन निर्वाह केवल खेती पर निर्भर है । प्रार्थीगण खुद काश्त करते है। चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 63/59 के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3/2 (0.063 है.), 4 ता 7, 14,15,16,17,24,25 (प्रत्येक में 0.253 है.), = 2.593 है. नहरी मय खाला व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) =1.265 है. कुल 3.858 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रार्थी सं. 1 (साहबराम पुत्र बदरीराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 2/2 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5, 6, 15,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

16, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 1.265 है. मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21, 22 (प्रत्येक में 0.253 है.) =1.518 है. नहरी मय खाला कुल 2.793 हैक्टयर नहरी मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 6 आत्माराम पुत्र बद्रीराम के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 57/53 के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 24 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 3.795 है. नहरी कृषि भूमि प्रार्थी संख्या 3 (विजय सिंह पुत्र बदरीराम) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है तथा चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 11/12 के मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 2, 9, 12 (प्रत्येक में 0.253 है.), 19/1(0.126 है.) = 0.885 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि प्रार्थीया संख्या 4 कौशल्या पत्नी रणजीत सिंह) के नाम जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है। चक 3 क्यू के खाता संख्या 63/59, 2/2, 57/53 व 11/12 के जमाबन्दी की प्रतिलिपी संलग्न है। चक 3 क्यू पटवार हल्का दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 56/52 के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 18, 23, 24, 25 (प्रत्येक में 0.253 है.), = 1.012 है. नहरी कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 2 (शकिला गोदारा पत्नी शिवप्रकाश) के नाम से एवं मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5/2(0.063 है.), 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 2.087 है. नहरी एवं मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1, 2 (प्रत्येक में 0.253 है.), 3/1 (0.189 है.), 8, 9, 10, 11, 20, 21 (प्रत्येक में 0.253 है.) = 2.213 है. नहरी मय खाला कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 ता 5 के नाम संयुक्त रूप से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज कागजात राज है एवं इसी चक 3 क्यू के खाता संख्या 58/54 के मु0न0 37 के किला नम्बर 21/1/0.025 है., मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 25/1 की 0.025 है. एवं मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3(0.253है.), 4(0.253 है.), 5/1 (0.189 है.) कुल 0.695 है. कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 7 विनोद कुमार पुत्र दौलतराम के नाम से जमाबन्दी मुताबिक दर्ज है। चक 3 क्यू तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/52 व खाता संख्या 58/54 की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपी संलग्न वाद पत्र है । चूंकि चक 3 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6–7–8 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 10 में (मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टयर चौड़ा रास्ता विगत 25–30 वर्षों से पूर्वजो द्वारा एवं प्रार्थीगण (साहबराम वगैरा) व अप्रार्थी संख्या 1 के पति, अप्रार्थी संख्या 2 के ससुर व अप्रार्थी संख्या 3 ता 5 के दादाजी लाधुराम द्वारा कृषि भूमि के घरेलू बंटवारा के समय भूमि का लेन देन तय करके की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार चला आ रहा है जिसका प्रयोग कर चक 3 क्यू के मुरब्बा नम्बर 43 में सरकारी रास्ता से होकर प्रार्थीगण व अन्य काश्तकार अपने रकबा में आते जाते है तथा अपने अपने रकबा में पहुंचकर अपनी काश्त व रोजमर्रा के कृषि कार्य करते आ रहे है एवं इसी रास्ता से ही आज तक प्रार्थीगण बिना किसी रूकावट के अपनी भूमि में आवाजाही कर रहे है व कृषि यन्त्र, ट्रैक्टर, ट्राली, बैलगाड़ी आदि लेकर आते जाते है। पटवारी हल्का द्वारा जारी नक्शा की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। जिसमें उक्त वर्णित रास्ता को दर्शाया हुआ है। उक्त मद में वर्णित अनुसार मौका पर चल रहे रास्ता का प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए प्रयोग कर रहे है लेकिन उक्त चालू रास्ता रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अक्सर विवाद का भय बना रहता है चूंकि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 झगड़ालू व जिद्दी किस्म के है जो प्रार्थीगण को तंग परेशान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

करने की नीयत से उक्त रास्ता में व्यवधान पैदा करते रहते है जिससे रोजमर्रा के कृषि कार्य करने में दिक्कते आती है चूंकि उक्त चालू रास्ते से मु0न0 43–44 की भूमि दो हिस्सों में विभाजित हो रही थी लेकिन लाधुराम पुत्र बदरीराम ने अपनी खेत में बनी ढाणी तक दो दो बिस्वा चौड़ा रास्ता की सुविधा बहाल रखने के लिए उक्त रास्ता चालू रखने की सहमति दी जबकि प्रार्थीगण तो पत्थर लाईन के रास्ता पर भी सहमत थे। प्रार्थीगण को उक्त रास्ता के अलावा अपनी भूमि में जाने के लिए उक्त रास्ता के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है एवं ना ही हो सकता है। कानूनन प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवाजाही हेतू विगत लम्बे समय से चले आ रहे रास्ता को स्वीकृत किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 उक्त रास्ता से प्रार्थीगण व अन्य काश्तकारान के आने जाने में दखलन्दाजी/व्यवधान पैदा किया तथा कस्सी से रास्ता में गढ्ढे कर दिये जिस पर प्रार्थीगण ने गांव के मौजिज पंचायती लोगो तथा परिजनो की मार्फत अप्रार्थी संख्या 4 व 5 को समझाईश करवाई लेकिन अप्रार्थी संख्या 4 व 5 अपनी हरकतो से बाज नहीं आ रहे है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30/07/2019 को प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रस्ताव रखा तो अप्रार्थीगण ने, प्रार्थीगण की बात को ठुकरा दिया । बस यही वाद कारण है अप्रार्थी संख्या 6 उक्त रास्ता का प्रयोग कर रहा है लेकिन आज प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु आने में असमर्थ होने के कारण अप्रार्थी संख्या 6 के रूप में दर्ज किया गया है, अप्रार्थी संख्या 7 के रकबा में से पत्थर लाईन पर रास्ता स्वीकृत करवाने का भी अनुतोष मांगा गया है अप्रार्थी संख्या 7 विनोद कुमार को पक्षकार बनाया गया है । प्रार्थीगण नेकनीयत है, प्रार्थीगण रास्ता के सुखाधिकार को बहाल रखना चाहते है अन्यथा प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए चली आ रही व्यवस्था समाप्त हो जावेगी । उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थना पत्र वाद कारण से बिना किसी विलम्ब के पेश है प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थीगण का शपथ पत्र एवं सम्बन्धित जमाबन्दी व अन्य दस्तावेजात संलग्न है। लिहाजा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण को निम्न अनुतोष दिलवाया जावे :

(क) :– चक 3 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6–7–8 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला मुम्बर 3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 10 में (मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 की बट से चिपता हुआ प्रत्येक किला में 0.013 है. यानि एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रास्ता का रकबा भी सम्बन्धित खातेदार के रकबा में से कम किया जावे। अथवा/विकल्प में चक 3 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3–4–5 में एवं मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 में प्रत्येक किला नम्बर में पत्थर लाईन से चिपता हुआ 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 में प्रत्येक किला में पत्थर लाईन से चिपता हुआ 0.013 है. यानि एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जावे तथा उक्त रास्ता का रकबा भी सम्बन्धित खातेदार के रकबा में से कम किया जावे ।

(ख). उक्त रास्ता का राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे।

(ग). प्रार्थीगण को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

(घ). अन्य कोई अनुतोष जो प्रार्थी के हित में माननीय न्यायालय उचित समझे दिलाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 5 की ओर से दिनांक 14.02.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके तथ्यानुसार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के अनुसार भूमि का विवरण दिया गया है जो कि स्वीकार है तथा अप्रार्थीगण के पिता के नाम गांव दौलतपुरा में चक 3 क्यू तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/52 के मु.न. 43 के किला नम्बर 5/2, 6,7 8,13,14,15,16,17,18,23,24 और 25 की कुल 13 बीघा में 3.099 हैक्टर तथा मु.न. 44 के किला नम्बर 1,2,3/1,8,9,10,11,20 और 21 कुल 9 बीघा में 2.187 हैक्टर तथा खाता संख्या 62/60 मु.न. 32 के किला नम्बर 1/1, 2/1 कुल 2 में 0.228 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 के पिता अप्रार्थी संख्या 2 के पति शिवप्रकाश पुत्र लाधुराम से जरिये उपहार पत्र से प्राप्त हुई थी । अप्रार्थीगण के पिता/पति के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि अप्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 2,4,5,1 जरिये विरास्त इंतकालन से प्राप्त हुई तथा उक्त भूमि का खाता विभाजन नहीं हुआ। इसलिए उक्त भूमि का सांझा खाता में चली आ रही थी जिसका विवाद चल रहा है तथा श्रीमान् न्यायालय से स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता दर्शाया गण है जो स्वीकार है परन्तु जो भूमि अप्रार्थीगण की दिखाई गई है उस भूमि पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ तथा इसका वाद श्रीमान् न्यायालय मे दीपक गोदारा बनाम सावित्री देवी के नाम से विचाराधीन है। जिसमें अप्रार्थीगण भी पक्षकारान है। प्रार्थीगण ने कृषि भूमि के विवरण के साथ–साथ रास्ता चालू था का कथन किया है व असत्य कथन किया है । मु.न. 43 के किला नम्बर 6,7,8 व मु.न. 44 के किला नम्बर 6,7,8,9,10 व व मु.न. 45 के किला नम्बर 6,7,8,9,10 में व मु.न. 46 के किला नम्बर 10 में कभी भी रास्ता चालू नहीं था तथा ना ही वहा प्रार्थीगण का आना जाना था तथा ना ही कभी इस रास्ता से गये क्योंकि यहां पर रास्ता नहीं है बल्कि अप्रार्थीगण के परिवार की साझा खाता की भूमि होने के कारण वहां पर आज से लगभग 3 वर्ष से बाग लगा हआ है तथा पौधे लगे हुए है तथा सही स्थिति यह है कि अप्रार्थीगण का अपने परिवार के साथ जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है तथा उसका स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है बस इसी वजह से अप्रार्थीगण को परेशान किया जा रहा है तथा बिना वजह अप्रार्थीगण के खेत में से बाग (पेड़) को उखाड कर वहा से रास्ता लेने की बेवजह जिदद् प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है । प्रार्थीगण ने इस कथन में लिखा है कि 25–30 वर्षों से रास्ता चालू था तथा पूर्वजो ने रास्ता छोड़ रखा था जो कि असत्य अंकित किया है अगर ऐसा कोई रास्ता छोड़ा होतो तो उसकी लिखा पढ़ी की होती तथा अप्रार्थीगण के ज्ञान में होता तथा जब आज से 3 वर्ष पूर्व बाग लगाया गया था उस समय भी प्रार्थीगण एतराज कर सकते थे आज तब अप्रार्थीगण का अपने कर सकते थे आज जब अप्रार्थीगण को अपने परिवार के साथ जमीन का विवाद हुआ तब आकर रास्ते की मांग करना स्पष्ट पता चलता है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण के साथ मिलकर प्रार्थी का परेशान करना चाहते है प्रार्थीगण ने इस कथन में अंकित किया है कि उसके पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है यह कथन असत्य अंकित किया है सही स्थिति यह है कि प्रार्थीगण मु.न. 53 के किला नम्बर 21 ता 25 व मु.न. 52 के किला नम्बर 21 ता 25 के ऊपर से एक मुख्य पक्की सड़क से रास्ता चल रहा है से आते–जाते रहे है यही इनका वैकल्पिक रास्ता था। जो रास्ता प्रार्थीगण ने इस चरण में चलना बताया है वह मात्र प्रार्थना पत्र को आधार देने के लिए बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 2,3,4 व 5 तथा माता व भाई बहन है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित कथन स्वीकार नहीं है अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया बल्कि प्रार्थीगण के द्वारा बाहर से आदमी बुलाकर जब अप्रार्थीगण के बाग के पौधों को उखाडा गया

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तथा वहा से जबरदस्ती रास्ता बनाने का प्रयास किया गया उस समय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आपस मे विवाद हुआ था जिसका मुकदमा पक्षकारान के द्वारा फौजदारी दर्ज करवाया गया था इस चरण में प्रार्थीगण के द्वारा रास्ता स्वीकृति प्रार्थना पत्र की बात मिथ्या अंकित की है तथा कोई रास्ता चालू नहीं है तथा ना ही रास्ता बाबत कोई प्रस्ताव प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के सामने रखा गया था। प्रार्थीगण ने नेकनियत से श्रीमान् न्यायालय के समक्ष नही आये बल्कि रास्ता की मांग करने तथा अप्रार्थीगण का बाग/ फसल खराब करने के आशय से जो रास्ता कभी चालू नहीं था को चालू दिखाकर न्यायालय से गलत रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो कि स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 9 की उपमद क,ख में चाहे गये अनुतोष को प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है अगर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता नहीं होता तो इस रास्ता की मांग कर सकते थे परन्तु प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता है उसी से आते–जाते रहे है तथा वर्तमान में भी आ–जा रहे है प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को परेशान करने के लिए ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सहव्यय खारिज किया जावे। अतःजवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 14.02.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें अंकित तथ्यानुसार अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं खेती के साथ–साथ पढाई करता है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के अनुसार भूमि का विवरण दिया गया है जो कि स्वीकार है तथा अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के नाम गांव दौलतपुरा में चक 3 क्यू तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 56/52 के मु.न. 43 के किला नम्बर 5/2, 6,7 8,13,14,15,16,17,18,23,24 और 25 की कुल 13 बीघा में 3.099 हैक्टर तथा मु.न. 44 के किला नम्बर 1,2,3/1,8, 9, 10, 11, 20 और 21 कुल 9 बीघा में 2.187 हैक्टर तथा खाता संख्या 62/60 मु.न. 32 के किला नम्बर 1/1, 2/1, कुल 2 में 0.228 हैक्टर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 के पिता लाधुराम से जरिये उपहार पत्र से प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी संख्या 3 के पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 3 व अप्रार्थी संख्या 2,4,5,1 जरिये विरासत इंतकालन से प्राप्त हुई तथा उक्त भूमि का खाता विभाजन नहीं हुआ। इसलिए उक्त भूमि का सांझा खाता में चली आ रही थी जिसका विवाद चल रहा है तथा श्रीमान् न्यायालय से स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 में कृषि भूमि का विवरण बताया गया है तथा जमाबंदी सम्वत् 2068 से 2071 के अनुसार खाता दर्शाया गया है जो स्वीकार है परन्तु जो भूमि अप्रार्थीगण की दिखाई गई है उस भूमि पर श्रीमान् न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया हुआ तथा इसका वाद श्रीमान्न्यायालय मे दीपक गोदारा बनाम सावित्री देवी के नाम से विचाराधीन है। प्रार्थीगण ने कृषि भूमि के विवरण के साथ–साथ रास्ता चालू था का कथन किया है व असत्य कथन किया है। मु.न. 43 के किला नम्बर 6,7,8 व मु.न. 44 के किला नम्बर 6,7,8,9,10 व व मु.न. 45 के किला नम्बर 6,7,8,9,10 में व मु.न. 46 के किला नम्बर 10 में कभी भी रास्ता चालू नहीं था तथा ना ही वहां प्रार्थीगण का आना जाना था तथा ना ही कभी इस रास्ता से गये क्योंकि यहां पर रास्ता नहीं है बल्कि अप्रार्थी संख्या 3 के परिवार की साझा खाता की भूमि होने के कारण वहां पर आज से लगभग 3 वर्ष से बाग लगा हआ है तथा पौधे लगे हुए है तथा सही स्थिति यह है कि अप्रार्थी संख्या 4 का अपने परिवार के साथ जमीन को लेकर कुछ विवाद चल रहा है तथा उसका स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है बस इसी वजह से अप्रार्थी संख्या 3 को परेशान किया जा रहा है तथा बिना वजह अप्रार्थी संख्या 3 के खेत में से बाग (पेड़) को उखाड कर वहां से रास्ता लेने की बेवजह जिद प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है। प्रार्थीगण ने इस कथन में लिखा है कि 25–30 वर्षों से रास्ता चालू था तथा पूर्वजो ने रास्ता छोड़ रखा था जो कि असत्य अंकित किया है अगर ऐसा कोई रास्ता छोड़ा होता

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तो उसकी लिखा पढ़ी की होती तथा अप्रार्थी संख्या 3 के ज्ञान में होता तथा जब आज से 3 वर्ष पूर्व बाग लगाया गया था उस समय भी प्रार्थीगण एतराज कर सकते थे आज तब अप्रार्थी संख्या 3 का अपने कर सकते थे आज जब अप्रार्थी संख्या 3 को अपने परिवार के साथ जमीन का विवाद हुआ तब आकर रास्ते की मांग करना स्पष्ट पता चलता है कि प्रार्थीगण, अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर प्रार्थी का परेशान करना चाहते है प्रार्थीगण ने इस कथन में अंकित किया है कि उसके पास वैकल्पिक रास्ता नहीं है यह कथन असत्य अंकित किया है सही स्थिति यह है कि प्रार्थीगण मु.न. 53 के किला नम्बर 21 ता 25 व मु.न. 52 के किला नम्बर 21 ता 25 के ऊपर से एक मुख्य पक्की सड़क से रास्ता चल रहा है से आते–जाते रहे हैं यही इनका वैकल्पिक रास्ता था जबकि अब जब अप्रार्थी संख्या 3 का अपनी दादी अप्रार्थी संख्या 1 के साथ भूमि को लेकर विवाद हुआ तो इसका फायदा उठाने के लिए तथा अप्रार्थी संख्या 3 को परेशान करने के लिए उक्त रास्ता की गलत मांग कर रहे है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 3 के बाग को उजाड़ना चाहते है तथा उसकी फसल खराब कर गलत रास्ता प्राप्त करना चाहते है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार नही है जो रास्ता प्रार्थीगण ने इस चरण में चलना बताया है वह मात्र प्रार्थना पत्र को आधार देने के लिए बनाया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 3 के भाई बहन है व अच्छी तरह से जानता है वह किसी तरह का विवाद नहीं करते तथा रास्ता नही चलने के कारण रास्ता व्यवधान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया बल्कि प्रार्थीगण के द्वारा बाहर से आदमी बुलाकर जब प्रार्थी/अप्रार्थीगण के बाग के पौधों को उखाड़ा गया तथा वहा से जबरदस्ती रास्ता बनाने का प्रयास किया गया उस समय प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का आपस में विवाद हुआ था जिसका मुक्दमा पक्षकारान के द्वारा फौजदारी दर्ज करवाया गया था इस चरण में प्रार्थीगण के द्वारा रास्ता स्वीकृति प्रार्थना पत्र की बात मिथ्या अंकित की है तथा कोई रास्ता चालू नही है तथा ना ही रास्ता बाबत कोई प्रस्ताव प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 के सामने रखा गया था। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 7 स्वीकार नहीं है प्रार्थीगण ने नेकनियत से श्रीमान् न्यायालय के समक्ष नहीं आये बल्कि रास्ता की मांग करने तथा अप्रार्थी संख्या 3 का बाग/ फसल खराब करने के आश्य से जो रास्ता कभी चालू नही था को चालू दिखाकर न्यायालय से गलत रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो कि स्वीकार नही है जबकि प्रार्थीगण के पास अन्य रास्ता मौजूद है तथा उसी रास्ता से आते–जाते रहे है। प्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नही है अगर प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता नही होता तो इस रास्ता की मांग कर सकते थे परन्तु प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता है उसी से आते–जाते रहे है तथा वर्तमान मे भी आ–जा रहे है प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण के परेशान करने के लिए ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो सहव्यय खारिज किया जावे। अतः जवाब प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251(क) राजस्थान कास्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 20.02.2020 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें अंकित तथ्यानुसार चक 3 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6–7–8 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौडा रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 10 में (मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 की बट से चिपत हुआ। प्रत्येक किला में 0.013 हैक्टयर चौडा रास्ता करीब 25–30 वर्षों से पूर्वजो द्वारा एवं प्रार्थीगण एवं मन उतरदाता संख्या 1 के पति व अन्य परिवार लोगो द्वारा कृषि भूमि के घरेलू बंटवारा के समय भूमि का लेन देन तय करके की

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार चला आ रहा है जिसका प्रयोग कर मन उत्तरदाता एवं अन्य काश्तकारान अपने अपने रकबा में पहुंचकर अपनी काश्त व रोजमर्रा के कृषि कार्य करते आ रहे है एवं इसी रास्ता से ही प्रार्थीगण बिना किसी रूकावट के अपनी अपनी भूमि में आवाजाही करते रहे है। 4. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 में अंकित विवरण स्वीकार है। विगत 25-30 वर्षों से पूर्वजो द्वारा एवं प्रार्थीगण एवं मन उत्तरदाता संख्या 1 के पति व अन्य मौजिज लोगो द्वारा कृषि भूमि के घरेलू बंटवारा के समय से उक्त वर्णित अनुसार रास्ता चल रहा है। मन उत्तरदाता संख्या 1 के पति श्री लाधुराम द्वारा इसी रास्ता की सुविधा अनुसार आवासीय मकान/ढाणी बनाई हुई है लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 झगड़ालू व जिद्दी प्रवृति के होने के कारण प्रार्थीगण के खेत में आवाजाही हेतु चल रहे रास्ता में व्यवधान पैदा करने लगे जिस पर कई मर्तबा मन उत्तरदाता व मन उत्तरदाता के पति व अन्य मौजिज लोगो द्वारा व प्रार्थीगण द्वारा समझाईश भी की गई लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 ने पूर्वजो द्वारा दिए गए रास्ता से इन्कार करने लगे जबकि मन उत्तरदाता घरेलू बंटवारा के समय से चले आ रहे रास्ता को स्वीकृत करवाने हेतु में पूर्णतः सहमत हूं । प्रार्थीगण नेकनीयत है। 5. यहकि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 6 में अंकित विवरण स्वीकार है । अप्रार्थी संख्या 4 व 5 ने प्रार्थीगण के । खेत में आवाजाही हेतु चालू रास्ता में कस्सी से गड्ढे कर दिये तथा प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत में आवाजाही करने पर लड़ाई झगड़ा करने लगे। जिस पर मन उत्तरदाता व अन्य मौजिज लोगो द्वारा समास दखलन्दाजी बढ़ती ही गई। इस मद में वर्णित शेष तथ्य मन उत्तरदाता से सम्बन्धित नहीं है। यदि प्रार्थी संख्या 1 साहबराम अपन नाम पर तहसील श्रीगंगानगर के मरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6 व 7 में मिरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5-4 की बट स चपत रनत प्रत्येक किला में 0.025 है. चौड़ा रास्ता व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 10 में (मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 की बट से चिपता हुआ] 0.013 है. चौड़ा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के पूर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यस्था अनुसार स्वीकृत करवाता है तथा प्रार्थी संख्या 2 विजय सिंह अपने नाम दर्ज चक 3 क्यू के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 7-8-9 में मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2-3-4 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला में 0.013 है. चौड़ा रास्ता पूर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार स्वीकृत करवाता है तथा अप्रार्थी संख्या 6 आत्माराम अपने नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6 (मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5 की बट से चिपता हआ तथा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 10 में (मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला मे 0.013 है. चौड़ा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के पूर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार स्वीकृत करवाता है तो मन उत्तरदाता संख्या 1 भी चक 3 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6-7-8 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5-4-3 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 8--9-10 में (मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3-2-1 की बट से चिपता हुआ] प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के पूर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार स्वीकृत करवाने में पूर्णतः सहमत हूं मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6-7-8 व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 8-9-10 के प्रत्येक किला में 0.025 है. चौड़ा स्वीकृत कर मन उत्तरदाता संख्या 1 के नाम दर्ज रकबा में से रास्ता का रकबा कम किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का रकबा यथावत रखा जावे तो मन उत्तरदाता पूर्णतः सहमत हूं। अतः मन उत्तरदाता संख्या 1 की ओर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी संख्या 1 साहबराम अपने नाम दर्ज चक 3 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6 व 7 में मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 5-4 की बट से चिपता हुआ प्रत्येक किला में 0.025 है. चौड़ा रास्ता व मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 10में मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1 की बट से चिपता हआ] 0.013 है.चौड़ा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के पूर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार स्वीकृत करवाता है तथा प्रार्थी संख्या 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

विजय सिंह अपने नाम दर्ज चक 3 क्यू के मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 7–8–9 में मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 2–3–4 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला में 0.013 है. चौड़ा रास्ता पूर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यवस्था अनसार स्वीकृत करवाता है तथा अप्रार्थी संख्या 6 आत्माराम अपने नाम दर्ज मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6 मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 5 की बट से चिपता हुआ) तथा मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 10 में किला नम्बर 1 की बट से चिपता हुआ प्रत्येक किला में 0.013 है. चौडा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के पुर्वजों द्वारा की गई व्यवस्था अनुसार स्वीकृत करवाता है तो मन उतरदाता संख्या 1 भी चक 3 क्यू तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6–7–8 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5–4–3 की बट से चिपता हुआ. 3 नम्बर 44 के किला नम्बर 8–9–10 में मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 3–2–1 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है यानि 2 बिस्वा चौडा रास्ता बिना किसी प्रतिफल के पर्वजो द्वारा की गई रास्ता की व्यवस्था अनुसार स्वीकृत करवान र , पूर्णतः सहमत हूं मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6–7–8 व मरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 8–9–10 के प्रत्येक किला में 0.025 है. चौड़ा स्वीकृत कर मन उतरदाता संख्या 1 के नाम दर्ज रकबा में से रास्ता का रकबा करने तथा अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 का रकबा यथावत रखे जाने के आदेश दिये जावे। प्रार्थीगण द्वारा विकल्प में मांगे गये चक 3 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 3–4–5 में एवं मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 में प्रत्येक किला नम्बर में पत्थर लाईन से चिपता हुआ 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 में प्रत्येक किला में पत्थर लाईन से चिपता हुआ 0.013 है. यानि एक बिस्वा चौड़ा रास्ता के सम्बन्ध में मन उतरदाता संख्या 1 निवेदन करती है कि यदि प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज रकबा में से विकल्प का रास्ता स्वीकृत करवाने में सहमत है तो मन उतरदाता संख्या 1 भी अपने रकबा में रास्ता की व्यवस्था बनाये रखने हेतू प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में वर्णित मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 5/2 व मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1, 2 व 3/1 में से रास्ता का रकबा अपने नाम दर्ज रकबा में से बिना किसी प्रतिफल के देने में सहमत हूं।

प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, श्रीगंगानगर से रिपोर्ट मंगवाई गई।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की पुनः बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी 2 ता 5 द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के पास अपनी भूमि में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ते का अभाव है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी अपने जवाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत करने का कथन किया गया है। राज. काश्त. अधि. की धारा 251 ए में कृषक को उसकी भूमि में काश्त हेतु रास्ता दिया जाना अत्यन्त आवश्यक होता है। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य से प्रार्थीगण के पास अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए रास्ते का अभाव है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए राज. काश्त. अधि. स्वीकार किया जाकर चक 3 क्यू तह. श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 43 के किला नम्बर 6–7–8 में (मुरब्बा नम्बर 43 के किला मुम्बर 3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 44 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ) प्रत्येक किला नम्बर में 0.025 है. यानि 2 बिस्वा चौड़ा रास्ता एवं मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 6–7–8–9–10 में (मुरब्बा नम्बर 45 के किला नम्बर 1–2–3–4–5 की बट से चिपता हुआ), मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 10 में मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1 की बट से चिपता हुआ प्रत्येक किला में 0.013 है. यानि एक बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

तहसीलदार श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है, कि अप्रार्थीगण को रास्ते के मुआवजे के फलस्वरूप डी.एल.सी. का दुगना तहसील कार्यालय में प्रार्थी द्वारा जमा करवाने के उपरान्त उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में रास्ते का नियमानुसार अमल दरामद किया जावे। जमा राशि को तहसीलदार अपनें स्तर से अप्रार्थीगण को उनके हिस्सा अनुसार वितरित करना सुनिश्चित करेगा।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदसिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर